

## अध्याय 5: मैट का प्रभाव

5.1 हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि क्या आईटीडी के पास शून्य कर वाली कम्पनियों को कर नेट में लाने के संबंध में मैट के प्रभाव के साथ-साथ मैट क्रेडिट के निर्धारण का एक तंत्र है और क्या सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य कर वाली कम्पनियाँ मैट के तहत कोई कर भुगतान कर रही है या नहीं।

### 5.2 शून्य कर कम्पनियों की पहचान करना

5.2.1 हमने अक्टूबर 2016 में सीबीडीटी (टीपीएल) से सूचना माँगी कि शून्य कर कम्पनियों को कर नेट में लाने के संबंध में मैट के प्रभाव के निर्धारण के लिए आईटीडी के पास क्या कोई तंत्र है। इसके अलावा, हमने धारा 115 जेबी के तहत कुल संग्रहित कर के विवरण के साथ सामान्य प्रावधानों के साथ-साथ विशेष प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं कम्पनियों एवं 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए संबंधित कॉर्पोरेट निधारियों द्वारा लाभ उठाए गए मैट क्रेडिट की सूची की माँग की। उपरोक्त पूछताछ के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए।

हमने यह मामला, नवम्बर 2016 में अपर सचिव (राजस्व)/ अध्यक्ष, सीबीडीटी के साथ उठाया। डीजीआईटी (प्रणालियों) ने जनवरी 2017 में सामान्य प्रावधानों के साथ-साथ विशेष प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं 60,227 कम्पनियों के विवरण उपलब्ध कराए थे।

### 5.2.2 मैट से संबंधित प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं कम्पनियों की जांच

हमने ऐसी कम्पनियों जिसने विशेष प्रावधानों के तहत शून्य कर दिया था की डीजीआईटी (प्रणालियों) द्वारा दिए गए 60,227 मामलों की सूची में से 441 मामलों की नमूना जांच की। 441 मामलों में से 24 में लेखापरीक्षा ने देखा कि, कॉर्पोरेट निर्धारितियों ने मैट प्रावधानों के तहत कर का भुगतान किया था। शेष 417 मामलों में मैट के विशेष प्रावधानों के तहत शून्य हो रहीं कॉर्पोरेट निर्धारितियों की कर देयताओं के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:

2017 की प्रतिवेदन सं. 30 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

तालिका 5.1 मैट प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं कम्पनियाँ					
क्रम सं.	मदें जिनके परिणामस्वरूप मैट प्रावधानों के तहत शून्य कर देयता हुई	मामलों की संख्या	मामलों के अनुसार प्रतिशत	कटौती की राशि (₹ करोड़ में)	प्रोत्साहन के अनुसार प्रतिशत
1	रुग्ण औद्योगिक इकाई के लाभ की कटौती	63	15.1	24780.77	63.4
2	अनावशोधित मूल्यहास या अग्रानीत हानियों का समंजन	140	33.6	6004.62	15.4
3	शेष असमायोजित मदें और पी एंड एल लेखा में क्रेडिट किया गया आस्थगित कर	11	2.6	2709.85	6.9
4	धारा 10ए, 10बी, 10एए, 10(26बी), 10(38) आदि के तहत छूट प्राप्त आय	101	24.2	2526.41	6.4
5	छूट प्राप्त लाभांश आय की कटौती	39	9.4	867.03	2.2
6	छूट प्राप्त कर रही साझेदारी फर्म से लाभ का शेयर	4	1.0	689.27	1.8
7	रिजर्व/प्रावधान से निकाली गई राशि की कटौती	12	2.9	312.12	0.8
8	निर्धारित के जीवन बीमा कारोबार में कार्यरत होने से लाभ छूट	4	1.0	248.63	0.6
9	प्रतिलेखित प्रावधान	4	1.0	211.96	0.5
10	कटौती के तौर पर अनुमत कोई भी अन्य राशि	7	1.7	198.52	0.5
11	छूट प्राप्त कर रही कृषि भूमि/ कृषि आय की बिक्री पर लाभ की कटौती	24	5.8	179.35	0.5
12	पी एवं एल लेखों में डेबिट नहीं की गई ग्रेच्यूटी/विद्युत और ईंधन व्ययों की कटौती	2	0.5	159.61	0.4
13	धारा 90(2) के बलपर आय में छूट	2	0.5	113.07	0.3
14	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में कटौती	3	0.7	55.26	0.1
15	बट्टे खाते में डाले गये निवेश को प्रावधानों के प्रति समायोजित किया गया	1	0.2	41.02	0.1
	<b>कुल</b>	<b>417</b>		<b>39097.49</b>	

विवरणी/मामलों की संख्या के अनुसार, अनावशोषित मूल्यहास और/अथवा अग्रानीत हानियों (33.6 प्रतिशत) के समंजन, धारा 10ए, 10बी, 10एए, 10(26बी), 10(38) आदि के तहत छूट प्राप्त कर रही आय (24.2 प्रतिशत), रूग्ण औद्योगिक इकाई के लाभ में कटौती (15.1 प्रतिशत) छूट प्राप्त लाभांश आय की कटौती (9.4 प्रतिशत) और कृषि भूमि की बिक्री/छूट प्राप्त कृषि आय पर लाभ की कटौती (5.8 प्रतिशत) नमूना मामलों की संख्या के 88.1 प्रतिशत होते हुए शीर्ष पाँच प्रोत्साहन/छूट/कटौतियाँ हैं जो कि मैट प्रावधानों के तहत कर देयता को रद्द कर रही हैं।

छूट/कटौतियों की राशि के अनुसार, एक रूग्ण औद्योगिक इकाई (63.4 प्रतिशत) के लाभ की कटौती के बाद, अनावशोषित मूल्यहास और अग्रानीत हानियों का समंजन (15.4 प्रतिशत), शेष असमायोजित मर्दे और पी एवं एल लेखे को क्रेडिट किया गया आस्थगित कर, धारा 10ए, 10बी, 10एए, 10(26बी), 10(38) (6.4 प्रतिशत) के तहत छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त लाभांश आय की कटौती (2.2 प्रतिशत) नमूना मामलों की कुल राशि के 94.3 प्रतिशत होते हुए शीर्ष पाँच प्रोत्साहन/छूट/कटौतियाँ हैं जो मैट प्रावधानों के तहत कर देयता को रद्द कर रही हैं।

### 5.3 मैट के तहत कर के भुगतान की दायी कम्पनियाँ मैट के उद्ग्रहण से अपवंचन

अधिनियम में प्रावधान है कि, जहाँ एक निर्धारिती एक कम्पनी होने के मामले में, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत परिकल्पित कुल आय पर देय आयकर समय-समय पर निर्धारित अंकित लाभ के प्रतिशत से कम है, तब ऐसा अंकित लाभ निर्धारिती की कुल आय माना जायेगा। इसके बाद धारा 115जेबी की उप धारा 2 के नीचे व्याख्या 1 अंकित लाभ के परिकल्पन के लिए कुछ समायोजन निर्धारित करता है।

हमने 14 राज्यों<sup>88</sup> में 34 निर्धारण मामले देखे जहाँ यद्यपि कर विशेष प्रावधानों के तहत उदग्रहण था परन्तु यह अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत उदग्रहीत हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 127.86 करोड़ के कर की कम उगाही हुई (परिशिष्ट-33)।

**बॉक्स 5.1: मेट के तहत कर के अनुदग्रहण के उदाहरणार्थ मामले**

**(क) प्रभार: प्र सीआईटी, त्रिशुर**

**निर्धारिती: द कैथोलिक सीरियन बैंक लि.**

**निर्धारण वर्ष: 2011-12**

**पैन: AABCT0024D**

परिशोधन आदेश (2014) पारित करते समय एओ ने सामान्य प्रावधान के तहत 'शून्य' आय का निर्धारण किया और कोई कर उदग्रहीत नहीं किया गया। तथापि, निर्धारिती को ₹ 29.29 करोड़ का अंकित लाभ हुआ था और विशेष प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए देय था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.84 करोड़ के कर प्रभाव वाले 29.29 करोड़ के अंकित लाभ का निर्धारण नहीं हुआ। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

**(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2 चंडीगढ़**

**निर्धारिती: मेसर्स वीनस रेमेडीज़ लि.**

**निर्धारण वर्ष : 2013-14**

**पैन: AAACV6524H**

निर्धारिती की कर देयता की गणना के दौरान एओ ने अंकित लाभ का परिकलन नहीं किया और कर का उदग्रहण सामान्य प्रावधानों के तहत किया था। निर्धारिती ने अंकित लाभ की गणना के दौरान लेखांकित मूल्यहास के अतिरिक्त आय कर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास के लिए ₹ 43.25 करोड़ और अधिनियम की धारा 10 के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ₹ 1.55 करोड़ की कटौती का दावा किया और दो में से उच्चतर होने पर सामान्य प्रावधान के तहत कर प्रस्तुत किया। चूंकि उपरोक्त कटौतियाँ अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत अनुमत समायोजन नहीं थे, अतः उपरोक्त परिवर्धन पर विचार करते हुए निर्धारिती को विशेष प्रावधानों के तहत कर का भुगतान

<sup>88</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (6), असम (1), बिहार (2), दिल्ली (1), हिमाचल प्रदेश (3), कर्नाटक (4), केरल (3), मध्य प्रदेश (3), महाराष्ट्र (3), पंजाब (2), तमिलनाडु (3), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल (2)

करना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 12.17 करोड़ (विशेष प्रावधानों के तहत उद्ग्रहीत कर और सामान्य प्रावधानों के तहत उद्ग्रहीत कर में अंतर) के कर प्रभाव वाले ₹ 62.67 करोड़ के अंकित लाभ का गैर-परिकलन हुआ। आईटीडी ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि अंकित लाभ के परिकलन के दौरान मूल्यहास एक अनुमत कटौती थी। इसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कटौती के मामले पर आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार कर ली किंतु कहा कि पूर्वकथित की नामंजूरी के लिए विचार करने के बाद भी निर्धारिती अब भी सामान्य प्रावधानों के तहत कर के लिए दायी होगा (नवम्बर 2016)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत मूल्यहास एक अनुमत कटौती नहीं था।

यद्यपि उपरोक्त उल्लेखित कम्पनियाँ मैट के तहत कर के भुगतान के लिए दायी थी परन्तु धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधान इन मामलों में लागू नहीं किए गए थे।

#### 5.4 मैट क्रेडिट के प्रावधानों के कारण मैट योजना का उद्देश्यहीन होना

धारा 155 जेए के तहत मैट क्रेडिट 1 अप्रैल 1997 से लागू किया गया था। नि.व. 2001-02 से नई धारा 115 जेबी लागू होने के बाद मैट क्रेडिट के प्रावधान नि.व 2005-06 तक लागू नहीं थे और केवल नि.व 2000-01 तक उपलब्ध क्रेडिट का समंजन अनुमत था जिसका लाभ नि.व 2005-06 तक उठाया जा सकता था। नि.व 2006-07 से, 7 वर्षों तक मैट क्रेडिट के प्रावधान मैट क्रेडिट का अग्रनयन अनुमत कर पुनः लागू किए गए थे जिसे वित्त अधिनियम 2009 से 10 वर्षों तक आगे बढ़ाया गया था। हाल में वित्त बिल 2017 ने समंजन की अवधि को 15 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। मैट क्रेडिट को पुनः लागू करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया था।

केरल, महाराष्ट्र में छः प्र. सीआईटी प्रभारों के संबंध में 12 निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पिछले वर्षों का आगे लाया गया कुल ₹ 380.53 करोड़ का मैट क्रेडिट का बाद के वर्षों में पूर्ण रूप से लाभ उठाया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।


(₹ करोड़ में)

तालिका 5.2: मेट की योजना के रद्दीकरण का लाभ उठा रहे मेट क्रेडिट के मामले						
क्र. सं.	निर्धारित नाम/पैन	प्र. सीआईटी/ सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष जिसके लिए मेट क्रेडिट को अग्रणीत किया गया था	अग्रणीत मेट क्रेडिट	समंजित मेट क्रेडिट	निर्धारण वर्ष जिसमें समायोजित किया गया
1.	पीके स्टील कास्टिंग्स/ AABCP3517H	कोझीकोड	2011-12	0.77	0.77	2012-13
2.	मालाबार इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस/ AACCM3480H	कोझीकोड	2008-09	0.72	0.72	2011-12
3.	मालाबार इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस/ AACCM3480H	कोझीकोड	2009-10	1.00	1.00	2011-12 2012-13
4.	पैरी सन्स फूड्स प्रा. लि. / AACCP2898J	कोझीकोड	2007-08	0.87	0.87	2008-09
5.	पैरी सन्स फूड्स प्रा. लि. / AACCP2898J	कोझीकोड	2013-14	0.25	0.25	2014-15
6.	टाटा सन्स/ AAAC4060A	प्र. सीआईटी 2 मुम्बई	2007-08 2008-09	354.54	354.54	2009-10, 2010-11, 2011-12
7.	ब्रिन्टन कार्पेट एशिया प्रा. लि. / AAACB7059H	प्र. सीआईटी 1 पूर्ण	2009-10	0.72	0.72	2010-11, 2011-12
8.	आईगेट कम्प्यूटर सिस्टम लि. / AABCP6219N	प्र. सीआईटी 1 पुणे	2011-12	7.68	7.68	2012-13
9.	नीलकंठ मैन्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. AAACN1245R	प्र. सीआईटी 14 मुम्बई	2010-11 2011-12	1.02	1.02	2013-14
10.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. AAACR2831H	प्र. सीआईटी एलटीयू मुम्बई	2012-13	8.75	8.75	2013-14
11.	ब्रिस्टलकॉन इंडिया लि. AAACM5186E	प्र. सीआईटी 2 मुम्बई	2006-07, 2007-08 2008-09	0.16	0.16	2010-11, 2011-12 2012-13
12.	पॉजिटिव पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लि. / AAACP2836Q	प्र. सीआईटी 3 मुम्बई	2009-10, 2010-11	4.05	4.05	2012-13
	<b>जोड़</b>			<b>380.53</b>	<b>380.53</b>	

## 5.5 निष्कर्ष


सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर से मैट के अंतर्गत एकत्रित किए गए अधिक कर को बाद के वर्षों में निर्धारिती को मैट क्रेडिट के रूप में समंजन से विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से कर एकत्र करने के लिए मैट को लागू करने का मूल उद्देश्य उस सीमा तक निष्प्रभावी हो गया।

नई दिल्ली  
दिनांक: 10 जुलाई 2017

  
(संजय कुमार)  
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 10 जुलाई 2017

  
(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

